

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर'

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलवी / 23/226 दिनांक 17/7/23

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना कंगांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (g) सपष्टित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत मावली (जिला उदयपुर) को सम्मिलित करते हुए एतद्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एवं जनसंख्या
01.	उदयपुर	मावली	ग्राम पंचायत मावली की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम मावली, गाडरियावास, कालाखेत)के सम्पूर्ण सीमा, क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या - 11.617 (जनगणना 2011 के अनुसार)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023-24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मावली के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम मावली, गाडरियावास, कालाखेत की सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विधमान सीमाएं ही राजस्व ग्राम मावली, गाडरियावास, कालाखेत की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना कंगांक 2025 दि. 1/6/21 के नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना कंगांक 2025 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मावली के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में कंमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलवी / 23/227-2265 दिनांक : 17/7/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन उचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. समाजीय आयुक्त उदयपुर /जिला कलक्टर उदयपुर (राजस्थान)।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार /समरत अधिकारीगण एवं अनुमान, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समरत राजस्थान।
14. नाडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सरपंच /उपसरपंच/सचिव, रावणित ग्राम पंचायत मावली (उदयपुर) (राज.)।
16. गुरुकित पत्रावली।

(संजय माथुर)